राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान
National Institute of Plant Health Management
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद– 500030

छात्रावास (हॉस्टल) नियम

प्रशिक्षणार्थियों को हॉस्टल में आवास मुहैया करवाये जाते हैं तथा उन्हें वर्तमान में लागू हॉस्टल नियमों या यथा समय-समय पर लागू नियमों का अनुपालन करना होगा।

1. एनआईपीएचएम हॉस्टल एवं परिसर अल्कोहल एवं धूम्रपान से मुक्त है। यहाँ अल्कोहल एवं धूम्रपान करना निषेध है। प्रशिक्षणार्थी द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने पर हॉस्टल को तत्काल खाली करना होगा।
2. हॉस्टल में ठहरने वाला कोई भी प्रशिक्षणार्थी सामान्य मामलों के लिए निदेशक/रजिस्ट्रार से संपर्क नहीं करेगा। संबंधित हॉस्टल प्रभारी इन मामलों का निपटान करेगा। यदि मामले पर ध्यान नहीं दिये जा रहें, तो उप वार्डन/वार्डन से संपर्क किया जा सकता है।
3. बिमारी के सभी मामले संबंधित हॉस्टल प्रभारी/वार्डन के जरिए संस्थान के चिकित्सक अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।
4. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा कमरे के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रिक उपकरणों की देखरेख की जाना अपेक्षित है। यदि, उनके द्वारा किसी प्रकार की टूट-फूट या क्षति होती है, तो संबंधित व्यक्ति से क्षति की वसूली की जाएगी।
5. प्रशिक्षार्थियों को केवल हॉस्टल के भोजनालय में ही भोजन उपलब्ध होगा। स्वयं भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों को अपने कमरे में भोजन पकाने या हॉस्टल परिसर के अंदर भोजन पकाने से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री/वस्तुओं का लाने की अनुमति नहीं है।
6. किसी भी प्रशिक्षणार्थी को कोई भी निजी कर्मचारी या पालतू जानवरों को अपने साथ लाने की अनुमति नहीं है।
7. प्रशिक्षणार्थियों को किसी अन्य व्यक्तियों या बाहरी व्यक्तियों को कमरे में ठहरने या निवास देने के लिए निषेध है।
8. परिवार के सदस्यों/मित्रों को हॉस्टल में ठहरने की अनुमति नहीं है।
9. यदि लाइट, पंखे, वातानुकूलित, वाटर हिटर, टी.वी का इस्तेमाल नहीं किये जा रहे हों, तो इन्हें अवश्य बंद कर दें। इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए।
10. प्रशिक्षणार्थियों को यह हिदायत दी जाती है कि वे अपने हॉस्टल कमरे में कोई भी कीमती सामान या अधिक नकद न रखें। वे अपने सम्बंधित सामानों की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। सामानों की चोरी या अन्य किसी कारणों से क्षति होने पर संस्थान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
11. प्रशिक्षणार्थी के एक सप्ताह ठहरने पर या दूसरे प्रशिक्षणार्थी आने पर प्रत्येक सप्ताह कमरे के बेड-शीट एवं तकिये को बदला जाना चाहिए। कमरे को साफ रखना प्रशिक्षणार्थी की जिम्मेदारी है।
12. प्रशिक्षणार्थी को भोजन भोजनालय के समय (सुबह चाय : 6.00 बजे से 6.30 बजे तक, नाश्ता : 8.00 बजे से 9.00 बजे तक, दोपहर का भोजन 12.45 बजे से 2.00 बजे अपराह्न तक एवं रात्रि भोजन रात 8.00 बजे से रात 9.15 तक) के अनुसार उपलब्ध होंगे।
13. एनआईपीएचएम के कर्मचारियों या अन्य प्रशिक्ष्णार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार न करें।
14. प्रशिक्षणार्थी अपनी सुरक्षा का ख्याल स्वयं करें। किसी भी दुर्घटना होने पर संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।